हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रजि. कार्यालय: हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 सीआईएन: एल74899डीएल1970जीओआई005276

वेबसाइट: www.hudco.org.in, ईमेल: cswhudco@hudco.org

फ़ोन: 011-24649610-21, 24648193-95

शेयरहोल्डर ,

विषय: लाभांश स्रोत पर कर की कटौती

हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 3.10 रुपये यानी 31% का अंतिम लाभांश देने की संस्तुति(recommended) की है, जो गुरुवार 21 सितंबर, 2023 को होने वाली 53वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरहोल्डर्स के अंतिम अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में शुक्रवार, 8 सितंबर, 2023 तय की है।

आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार वित्त अधिनियम, 2020 के साथ पठित, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा घोषित, भुगतान और वितरित लाभांश शेयरहोल्डर्स के अंतर्गत करयोग्य होगा। इसलिए कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभांश के भुगतान के समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक होगा।

रियायती दरों पर कटौती सहित स्रोत पर कर कटौती से छूट क्लेम करने के लिए, शेयरहोल्डर्स को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित आवश्यक दस्तावेज केवल 10 सितंबर, 2023 तक divid.tax@hudco.orgपर जमा करने होंगे। 10 सितंबर, 2023 के बाद प्राप्त दस्तावेज और/या अधूरे दस्तावेज या निर्दिष्ट ईमेल के अलावा किसी अन्य ईमेल यानी, dividend.tax@hudco.org पर भेजे गए दस्तावेजों, पर विचार नहीं किया जाएगा।

आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान निवासी के लिए लागू हैं ऐसी स्थिति में, रिकॉर्ड तिथि, यानी 8 सितंबर, 2023 को लाभांश आय, पंजीकृत शेयरधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अंतर्गत कर के लिए मूल्यांकन योग्य है (अर्थात, शेयर वास्तविक लाभार्थी मालिक की ओर से एक क्लियरिंग सदस्य, ब्रोकर, आदि के पास होते हैं), ऐसे पंजीकृत शेयरधारक (यानी, उक्त क्लियरिंग सदस्य, ब्रोकर, आदि) को 10 सितंबर को या उससे पहले

कंपनी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2023, एक घोषणा जिसमें वास्तविक लाभार्थी स्वामी का नाम, पता, आवासीय स्थिति और पैन, जिसे टीडीएस क्रेडिट दिया जाना है, और ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट देने के कारण शामिल हैं। 10 सितंबर, 2023 के बाद कंपनी द्वारा इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) (मेसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड) के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, शेयरधारकों को या तो निवासी शेयरधारक या गैर-निवासी शेयरधारक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और स्थायी खाता संख्या (पैन) के आधार पर व्यक्ति/कंपनी/फर्म/एचयूएफ/एओपी/ट्रस्ट/अन्य इकाई के रूप में उप-वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, जिन शेयरधारकों ने उपरोक्त जानकारी प्रदान नहीं की है/उसमें कोई बदलाव हुआ है, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, स्थायी खाता संख्या (पैन), आधार को अपडेट करें और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण पंजीकृत करें यदि वे डीमैटेरियालाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और यदि वे कंपनी के आरटीए के साथ भौतिक रूप में शेयर रखते हैं।

आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान निवासी और गैर-निवासी शेयरधारक इस प्रकार हैं:

निवासी शेयरहोल्डर्स के लिए:

आईटी अधिनियम की धारा 194 के तहत स्रोत पर कर की कटौती निम्नानुसार की जाएगी-

यदि वैध पैन प्रदत्त/उपलब्ध/पंजीकृत है तो	10% या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
यदि वैध पैन प्रदत्त नहीं है/उपलब्ध नहीं है/पंजीकृत नहीं है तो	20% या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
शेयरधारक जिन्हें 'विशिष्ट व्यक्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 एबी के तहत	लाभांश की राशि पर निर्दिष्ट दर से दोगुना देय या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
कम/शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र जारी करने वाले सदस्य आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत आयकर विभाग द्वारा	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर

जिन शेयरहोल्डर्स ने अभी तक अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए को अपना पैन प्रस्तुत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत प्रस्तुत करें।

'विशिष्ट व्यक्ति' के लिए टीडीएस की कटौती

टीडीएस उन निवासी शेयरहोल्डर्स को देय लाभांश की राशि पर निर्धारित दर से दोगुना या 5%, जो भी अधिक हो, काटा जाएगा:

(i) पिछले वर्ष से ठीक पहले दो पिछले वर्षों से संबंधित दोनों मूल्यांकन वर्षों के लिए आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है जिसमें कर की कटौती/संग्रहण की आवश्यकता है। पिछले दो वर्षों को गिना जाना आवश्यक है जिनकी धारा 139 की उप-धारा (आई) के तहत रिटर्न दाखिल करने की तारीख समाप्त हो गई है; और

(ii) पिछले दो वर्षों में स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर एकत्रित कर का कुल योग पचास हजार रुपये या उससे अधिक है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह निर्धारित करने के लिए कार्यक्षमता निर्धारित की है कि कोई व्यक्ति 'विशिष्ट व्यक्ति' होने की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। तदनुसार, कंपनी सीबीडीटी द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त कार्यक्षमता से सत्यापित करेगी कि कंपनी का कोई भी शेयरधारक प्रासंगिक टीडीएस दरों को लागू करने से पहले 'विशिष्ट व्यक्ति' के रूप में योग्य है या नहीं।

देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा:

क) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, यदि:
(i) (वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा देय कुल लाभांश की राशि कुल मिलाकर 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है; तथा

(ii) ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15जी (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15एच) प्रदान करता है। फॉर्म 15जी/15एच या ऊपर बताए अनुसार कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने वाले सदस्यों के लिए पैन अनिवार्य है।

बी) ख) बीमा कंपनियां, म्युचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश कोष, नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट, केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम और अन्य गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जहां सभी प्रकार से पूर्ण दस्तावेज कंपनी को उनसे प्राप्त हो गए हैं, आवश्यक दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

शेयरधारक की श्रेणी	अपेक्षित दस्तावेज़
बीमा कंपनी	स्व-घोषणा कि वे अपने पास रखे शेयरों के लाभकारी स्वामी हैं साथ ही पंजीकरण प्रमाणपत्र और पैन की स्व-सत्यापित प्रति।
म्यूचुअल फंड्स	स्व-घोषणा कि वे अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23डी) के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, साथ ही पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) भारत में स्थापित/निगमित	एक स्व-घोषणा कि उनकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23एफबीए) के अंतर्गत छूट प्राप्त है और वे सेबी विनियमों के अंतर्गत श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में स्थापित और शासित हैं, साथ ही पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वयं-सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट	एक स्व-घोषणा कि वे अधिनियम की धारा 10(44)[उपधारा 1ई से धारा 197ए] के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, साथ ही पैन और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वयं-सत्यापित प्रति
केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित निगम	दस्तावेज़ी साक्ष्य कि निगम अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत आता है और साथ ही पैन और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति
अन्य गैर-व्यक्तिगत निवासी शेयरधारक	आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत कर कटौती से छूट प्राप्त शेयरधारकों और आयकर अधिनियम की धारा 196 के तहत कर कटौती से छूट प्राप्त श्रेणियों के पैन की सत्यापित प्रति के साथ दस्तावेजी साक्ष्य ।

गैर-निवासी शेयरहोल्डर्स के लिए:

धारा 195 के प्रावधानों और आईटी अधिनियम की अन्य लागू धाराओं के अनुसार लागू दरों पर करों में कटौती की जानी आवश्यक है। टीडीएस देय लाभांश की राशि पर 20% की दर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

हालाँकि, आईटी अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, गैर-निवासी शेयरहोल्डर्स के पास भारत और सदस्य के कर निवास वाले देश के बीच दोहरे कर बचाव करार (डीटीएए) के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है, यदि वे उनके लिए अधिक फायदेमंद हैं। इस उद्देश्य के लिए, डीटीएए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, गैर-निवासी शेयरहोल्डर्स को 10 सितंबर, 2023 से पहले निम्नलिखित प्रदान करना होगा:

- भारतीय आयकर अधिकारियों द्वारा आबंटित वैध पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति;
- जिस देश का शेयरधारक निवासी है, उस देश के कर अधिकारियों द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2022-23 को कवर करने वाले टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (टीआरसी) की स्व-सत्यापित प्रति;
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित फॉर्म 10एफ में स्व-घोषणा, विधिवत भरा और हस्ताक्षरित, यदि इस फॉर्म में आवश्यक सभी विवरण टीआरसी में उल्लिखित नहीं हैं;
- वित्तीय वर्ष 2022-23 की लागू कर संधि के अनुसार भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होने की गैर-निवासी शेयरधारक द्वारा स्व-घोषणा;
- गैर-निवासी शेयरधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लाभकारी स्वामित्व की स्व-घोषणा;
- स्व-घोषणा कि गैर-निवासी शेयरधारक वित्तीय वर्ष 2022-23 में संबंधित कर संधि के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है।
- यदि लागू हो तो कम कर कटौती के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित कोई भी अन्य दस्तावेज, सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित।

विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के मामले में, आईटी अधिनियम की धारा 196डी के तहत 20% (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) की दर से कर लिया जाएगा।

कंपनी लाभांश राशि पर कर कटौती/रोक के समय लाभकारी कर संधि दरें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। करों से बचने के उद्देश्य से कर संधि की लाभकारी दर का आवेदन गैर-निवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

विभिन्न स्थिति/श्रेणी के अंतर्गत एकाधिक खाते रखने वाले शेयरधारक

यदि शेयरधारक एक ही पैन के तहत अलग-अलग स्थिति/श्रेणी के तहत कई खातों में शेयर रखते हैं, तो एक पैन के तहत शेयरों को जिस स्थिति में रखा गया है, उस स्थिति पर लागू कर का अधिक हिस्सा अलग-अलग खातों में उनकी पूरी होल्डिंग पर माना जाएगा।

काटे गए कर की सूचना :

क) कंपनी टीडीएस कटौती के समय मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का लाभ नहीं देगी। शेयरधारक अपनी आय का रिटर्न दाखिल करते समय इस तरह के लाभ का दावा कर सकते हैं;

ख) शेयरधारक https://incometaxindiaefilinq.gov.inपर अपने ई-फाइलिंग खातों से फॉर्म 26एएस/एआईएस की जांच कर सकते हैं;

ग) शेयरधारक www.incometaxindia.gov.inपर उपलब्ध "अपना टैक्स क्रेडिट देखें" सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, कंपनी द्वारा त्रैमासिक आधार पर टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के बाद फॉर्म 26एएस/एआईएस में क्रेडिट दिखाई देगा, और इसे आयकर विभाग द्वारा संसोधित किया जाएगा;

घ) उपरोक्त लाभांश के भुगतान के बाद टीडीएस प्रमाणपत्र उचित समय पर आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल कर दिया जाएगा;

ड.) यदि शेयरहोल्डर्स द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज और विवरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस काटा/विनियमित किया जाएगा। यदि टीडीएस उस दर पर काटा जाता है जिसे किसी विशेष मामले में कर की लागू दर से अधिक माना जाता है, तो ऐसे अतिरिक्त टीडीएस की वापसी का दावा शेयरधारक द्वारा कानून के तहत किया जा सकता है। हालाँकि, टीडीएस की ऐसी कटौती के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा;

ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त दस्तावेजों के अभाव में, या देर से प्राप्त होने पर या किसी अन्य कारण से कंपनी द्वारा लाभांश पर कम कर का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है, शेयरहोल्डर्स के पास अभी भी अपने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, पात्र होने पर, उचित रिफंड का दावा करने का विकल्प होगा। एक बार करों की कटौती के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

च) किसी भी गलत बयानी, अशुद्धि, या जानकारी के चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना इत्यादि सहित) की स्थिति में, या शेयरधारक द्वारा शून्य/रियायती दरों पर कर कटौती से छूट का दावा करने के लिए गलत/अपर्याप्त जानकारी प्रदान करने पर, ऐसे शेयरधारक कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही, कंपनी को सभी जानकारी/दस्तावेज और अपीलीय कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा अधिमानित;

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी को अपने सदस्यों को लाभांश और अन्य नकद लाभ वितरित करने के लिए प्रेषण के इलेक्ट्रॉनिक मोड के उपयोग को सक्षम करने के लिए कंपनी के सदस्यों के बैंक विवरण को अपडेट करना आवश्यक है।

कंपनी को शेयरहोल्डर्स के बैंक खातों में लाभांश का शीघ्र/समय पर क्रेडिट करने में सक्षम बनाने के लिए, शेयरहोल्डर्स से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके संबंधित डीमैट खातों में उनके बैंक खाते का विवरण अपडेट किया गया है। यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो बैंक खाते के विवरण का आवश्यक अद्यतनीकरण, यदि आवश्यक हो, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड के साथ किया जाना चाहिए।

इस सूचना को कंपनी की ओर से कर सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

संलग्नक:

फॉर्म - 15एच
फॉर्म- 15जी
फॉर्म- 10एफ
स्व घोषणा